रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122025-268790 CG-DL-E-24122025-268790

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

No. 834]

# वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

# सं. 37/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 920(अ).— जहां कि वियतनाम (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयाितत "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3824 99 00 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/38/2024-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितम्बर, 2025, जिसे दिनांक 27 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी डंपिंग हुई है;

8691 GI/2025 (1)

- (ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षित निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पिठत उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषयगत वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर, उक्त सारणी के कॉलम (7) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है. यथा:-

## सारणी

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. 3824 99 00 कैस्थियम कार्बोनेट फिलर मास्टरवैच वियतनाम सहित कोईभी देश संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्यन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")  2वही- वियतनाम वियतनाम देश प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")  3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक मंग्री ("येनबाई")  3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक नमंग्री ("येनबाई")  3. वियतनाम वियतनाम नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी	क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलत: उत्पादन	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. 3824 99 00 कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच वियतनाम सिहत कोईभी प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")  2वही- वियतनाम वियतनाम येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")  3वही- वियतनाम वियतनाम वियतनाम पेन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")  3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी				का देश			(अमेरिकी
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. 3824 99 00 कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच वियतनाम सिहत कोईभी प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")  2वही- वियतनाम वियतनाम येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")  3वही- वियतनाम वियतनाम वियतनाम पेन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")  3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी							डॉलर/मीट्टिक
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  1. 3824 99 00 कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच वियतनाम सहित कोईभी देश संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोपयन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी देश यहास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी (यूरोपयन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी देश यहास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी (यंग्ताई)  3वहीवही- वियतनाम वियतनाम सहित कोईभी देश प्रापियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी (यंग्वाई)  3. वियतनाम सहित कोईभी देश यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी							
1.     3824 99 00     कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच     वियतनाम सहित कोईभी देश     यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")     31.58       2.     -वही-     वियतनाम वियतनाम सहित कोईभी देश     येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यनबाई")     31.58       3.     -वही-     वियतनाम वियतनाम सहित कोईभी देश     नघे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमेटेड लायबिलिटी							
कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच       सहित कोईभी देश       प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")         2.       -वही-       वियतनाम       वियतनाम सहित कोईभी देश       येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")       31.58         3.       -वही-       वियतनाम       वियतनाम       नघे एन स्तित कोईभी यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी       31.58	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.     -वही-     वियतनाम     वियतनाम वियतनाम येन बाई पूरोपियन सिहत कोईभी पूरोपियन देश प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")     31.58       3.     -वही-     वियतनाम वियतनाम महित कोईभी पूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")     31.58       3.     -वही-     वियतनाम सिहत कोईभी पूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी     च्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी	1.	3824 99 00		वियतनाम			31.58
2.       -वही-       वियतनाम       वियतनाम       येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")       31.58         3.       -वही-       वियतनाम       वियतनाम       नियतनाम सहित कोईभी यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी       31.58							
2.       -वही-       -वही-       वियतनाम       वियतनाम       येन बाई       31.58         31.58       येन बाई       यूरोपियन       प्लास्टिक       संयुक्त स्टॉक       कंपनी       ("येनबाई")         3.       -वही-       -वही-       वियतनाम       वियतनाम       नघे एन       31.58         4       प्लास्टिक वन       मेंबर लिमिटेड       लायबिलिटी       लायबिलिटी			मास्टरबैच		देश		
2.       -वही-       वियतनाम       वियतनाम       येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")       31.58         3.       -वही-       वियतनाम       वियतनाम       नघे एन सिटिक वन प्रेंगियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी							
सहित कोईभी यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")  3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन सहित कोईभी यूरोपियन सहित कोईभी यूरोपियन देश प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी							
देश प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")  3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन 31.58 सहित कोईभी यूरोपियन देश प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी	2.	-वही-	-वही-	वियतनाम			31.58
3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन 31.58 सिहत कोईभी यूरोपियन देश प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी							
3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन 31.58 सहित कोईभी यूरोपियन देश प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी					देश		
3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन 31.58 सिहत कोईभी यूरोपियन देश प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी							
3वही- वियतनाम वियतनाम नघे एन 31.58 सहित कोईभी यूरोपियन देश प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी							
सहित कोईभी यूरोपियन देश प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी							
देश प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी	3.	-वही-	-वही-	ावयतनाम			31.58
मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी					साहत काइभा		
लायबिलिटी					दश		
						लायाबालटा कंपनी ("नघे")	
		<del>- 0</del>	<del>- 0</del>	विग्रवनाम	विग्रवनाम		24.50
4वही- वियतनाम वियतनाम पॉलीफिल 31.58 सहित कोईभी जॉइंट स्टॉक	4.	-वह।-	-वहा-	। जनसमान			31.58
देश कंपनी							
("पॉलीफिल")					3.4		
(सामूहिक रूप							
से "यूरोप्लास्ट							

					ग्रुप" के रूप में संदर्भित)	
5.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	एडीसी प्लास्टिक, जेएससी	36.13
6.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	एन टिएन इंडस्ट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनी	शून्य
7.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	विटाप्लास संयुक्त स्टॉक कंपनी (विटाप्लास)	39.25
8.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	कोई भी उत्पादक	75.00
9.	-वही-	-वही-	वियतनाम के अलावा कोई भी अन्य देश	वियतनाम	कोई भी उत्पादक	75.00

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अविध (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190349/67/2025-टीआरयू अनुभाग - सीबीआईसी] धीरज शर्मा, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2025

### No. 37/2025-Customs (ADD)

**G.S.R. 920(E).**— Whereas, in the matter of "Calcium Carbonate Filler Masterbatch" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 3824 99 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No.6/38/2024 – DGTR, dated the 27<sup>th</sup> September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27<sup>th</sup> September 2025, has come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration has been exported to India from the subject country at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping in respect of the subject goods;
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), of the said Table, namely:-

**TABLE** 

S. No.	Tariff Item	Description	Country	Country of	Producer	Amount
		of Goods	of Origin	Export		(\$/MT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	3824 99 00	Calcium	Vietnam	Any country	European Plastic	31.58
		carbonate		including	Joint Stock	
		filler		Vietnam	Company	
		masterbatch			("EuroPlast")	
2	-do-	-do-	Vietnam	Any country	Yen Bai European	31.58
				including	Plastic Joint Stock	
				Vietnam	Company ("Yenbai")	
3	-do-	-do-	Vietnam	Any country	Nghe An European	31.58
				including	Plastic One Member	
				Vietnam	Limited Liability	
					Company ("Nghe")	
4	-do-	-do-	Vietnam	Any country	Polyfill joint stock	31.58
				including	company ("Polyfill")	
				Vietnam	(collectively referred	
					to as "Europlast	
					Group")	
5	-do-	-do-	Vietnam	Any country	ADC Plastic.,JSC	36.13
				including		
				Vietnam		

6	-do-	-do-	Vietnam	Any country	An Tien Industries	Nil
				including Vietnam	Joint Stock Company	
7	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas)	39.25
8	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any	75.00
9	-do-	-do-	Any country other than Vietnam	Vietnam	Any	75.00

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/67/2025-TRU Section-CBIC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122025-268791 CG-DL-E-24122025-268791

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 833]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947

No. 833]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

सं. 36/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 919(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिशमन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयाितत "1,1,1,2- टेट्राफ्लोरोएथेन या आर -134ए" (एतिशमन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2903 45 00 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 06/30/2024-डीजीटीआर, दिनांक 26 सितम्बर, 2025, जिसे दिनांक 26 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी डंपिंग हुई है;

8690 GI/2025 (1)

- (ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है.

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषयगत वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर शुल्क, नीचे संलग्न सारणी में कॉलम (3) में वर्णित विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य और उक्त सारणी के कॉलम (7) में दर्शित संदर्भ राशि के बीच के अंतर के बराबर होगा, बर्शते कि लैंडेड मूल्य कॉलम (7) में दर्शित मूल्य से अधिक हो, तो प्रतिपाटन शुल्क लागू नहीं होगा; प्रतिपाटन शुल्क कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

# सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलत:	निर्यातक	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
			उत्पादन	देश				
			का देश					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2903 45 00	1,1,1,2- टेट्राफ्लोरोएथेन	चीन जन.गण.	चीन जन.गण	शानक्सी सिनोकेम	4439	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर
		या आर -134ए		सहित कोई देश	लैंटियन न्यू केमिकल मटेरियल			
					कंपनी लिमिटेड			
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण सहित	दि सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन	4423	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर
				कोई देश	केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड			
3.	-वही-	-वही-	चीन जनगण.	चीन जन.गण सहित कोई देश	शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड	4508	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर
4.	-वही-	-वही-	चीन जनगण.	चीन जन.गण सहित कोई देश	झेजियांग सानमेई केमिकल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड और जियांग्सू	4581	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर

					सानमेई केमिकल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड			
5.	-वही-	-वही-	चीन जनगण.	चीन जन.गण सहित कोई देश	रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कंपनी लिमिटेड	4583	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर
6.	-वही-	-वही-	चीन जनगण.	चीन जन.गण सहित कोई देश	जिबो फेयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड	4558	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर
7.	-वही-	-वही-	चीन जनगण.	चीन जन.गण सहित कोई देश	क्र.सं 1 से 6 के अलावा कोई भी उत्पादक	5251	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर
8.	-वही-	-वही-	चीन जनगण. के अलावा कोई भी अन्य देश	चीन जनगण.	कोई भी उत्पादक	5251	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अविध (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा। स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190349/70/2025-टीआरयू अनुभाग -सीबीआईसी] धीरज शर्मा, अवर सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2025

### No. 36/2025-Customs (ADD)

**G.S.R. 919(E).**— Whereas, in the matter of "1,1,1,2- Tetrafluoroethane or R-134a" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2903 45 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No.6/30/2024 – DGTR, dated the 26<sup>th</sup> September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26<sup>th</sup> September 2025, has come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration has been exported to India from the subject country at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping in respect of the subject goods;
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, the anti-dumping duty as the difference between the landed value of the subject goods as described in column (3) of the duty table below and the reference amount indicated in column (7) of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in column (7). If the landed value is more than the value indicated in column (7), the anti-dumping duty will not be applicable; in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement(UOM) as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

# **TABLE**

S.	Heading	Description of the	Country of	Country	Producer	Amount	UOM	Currency
N.	/Subheading	goods	origin	of export				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2002 47 00	1110	CI : PP		G1 1 G1 1	4.420	) (T)	***
1	2903 45 00	1,1,1,2-	China PR	Any	Shaanxi Sinochem	4439	MT	USD
		Tetrafluoroethane		country,	Lantian New			
		or R-134 a		including	Chemical Material			
				China PR	Company Limited			
2	-do-	-do-	China PR	Any	The Sinochem	4423	MT	USD
				country,	Environmental			
				including	Protection			
				China PR	Chemicals			
					(TAICANG) Co.			
					Ltd.			
3	-do-	-do-	China PR	Any	Shandong Dongyue	4508	MT	USD
				country,	Refrigerants			
				including	Company Limited			
				China PR				

4	-do-	-do-	China PR	Any	Zhejiang Sanmei	4581	MT	USD
				country,	Chemical Ind. Co.			
				including	Ltd. and Jiangsu			
				China PR	Sanmei Chemical			
					Ind. Co. Ltd			
5	-do-	-do-	China PR	Any	Ruyuan	4583	MT	USD
				country,	Dongyangguang			
				including	Fluorine Co. Ltd			
				China PR				
6	-do-	-do-	China PR	Any	Zibo Feiyuan	4558	MT	USD
				country,	Chemical Co., Ltd			
				including				
				China PR				
7	-do-	-do-	China PR	Any	Any producer other	5251	MT	USD
				country,	than SN 1 to 6			
				including				
				China PR				
8	-do-	-do-	Any	China PR	Any producer	5251	MT	USD
			country					
			other than					
			China PR					

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/70/2025-TRU Section-CBIC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.